म.प्र. शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल, मध्यप्रदेश

महत्वपूर्ण

क्र./PHFW-0922/2023/सत्रह/मेडि-3/I/129680 भोपाल, दिनांक: 13 / 12 / 2023

प्रति,

1. संचालक चिकित्स शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल, म.प्र.।
2. समस्त अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र.।
3. समस्त क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, म.प्र.।
4. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।
5. समस्त कोष एवं लेखा अधिकारी, म.प्र.।

विषयः– म.प्र. सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम अनुसार शासकीय कर्मचारियों/उनके आश्रितों के त्वरित निराकरण हेतु स्पष्टता बावत्।

संदर्भः–
1. म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 03/08/2022 को अधिसूचित म.प्र. सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2022
2. भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यालयीन ज्ञाप F no. 2-1/2012/CGHS/VC/CGHS (P) दिनांक 01/08/2023
3. म.प्र. शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग का आदेश क्र. 3(ए)19/03/21–ब(एक) दिनांक 15/06/2006
4. म.प्र. विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 व नियम यथासंशोधित 2016

विषयांतर्गत लेख है कि म.प्र. सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2022 को म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 03 अगस्त 2022 में अधिसूचित करते हुए प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु प्रवृत्त किया गया है।

निर्देशित किया जाता है कि:–

A. आपात परिस्थिति में राज्य के बाहर गैर सूचीबद्ध चिकित्सालय में अर्न्तवासी रोगी के चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी देयक का निराकरण

1. म.प्र. सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2022 के नियम 11 में अर्न्तवासी रोगी के उपचार पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए प्रक्रिया स्थापित है जिसके अनुसार शासकीय कर्मचारी अथवा उसके परिवार के अर्न्तवासी रोगी के रूप में उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति नियम 9 में नियत पैकेज सीमा के अनुसार किए जाने का प्रावधान है।

2. इस हेतु नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा देयकों का उचित परीक्षण लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश क्र. सी.6/एम.आर./सी–1/23/49 दिनांक 24/07/2023 में संलग्न **"अर्न्तवासी रोगी के उपचार की चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरण के प्रारम्भिक परीक्षण हेतु चेकलिस्ट"** अनुसार सुनिश्चित करते हुए संचालक चिकित्सा शिक्षा के कार्यालय में प्रेषित किया जाए।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

3. स्पष्ट किया जाता है कि राज्य के बाहर गैर सूचीबद्ध चिकित्सालय में अर्न्तवासी रोगी के रूप में आपात चिकित्सकीय अवस्था में उपचार करने के फलःस्वरूप उपगत व्यय **यदि 5 लाख से कम के हों तो,** नियम 9 (3) में चिकित्सा शिक्षा विभाग में प्राप्त देयक, नियम 9 (3) विहित संभागीय समिति द्वारा परीक्षण हेतु प्रेषण कर अभिमत प्राप्त करते हुए नियम 9 (4) में विहित राज्य स्तरीय समिति के अंतिम अनुशंसा हेतु प्रस्तुत की जाए।

B. अर्न्तवासी रोगी के उपचार हेतु अग्रिम का अनुमोदन

1. शासकीय कर्मचारियों द्वारा चिकित्सा अग्रिम के अनुमोदन हेतु म.प्र. सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम, 2022 के नियम 10 का परिपालन किया जाए।

2. स्पष्ट किया जाता है कि म.प्र. सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम, 2022 के अंतर्गत राज्य के बाहर सूचीबद्ध किए गए निजी चिकित्सालयों द्वारा सूचीबद्धकरण प्रक्रिया हेतु सी.जी.एच.एस. भोपाल के प्रचलित दर अनुरूप चिकित्सा करने की सहमति दी जाती है।

3. अतएव, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिष्ठाता द्वारा विशिष्ट रोग हेतु प्राक्कलन की अनुशंसा उस रोग हेतु विहित सी.जी.एच.एस. पैकेज दर के 80 प्रतिशत तक की सीमा में ही अग्रिम हेतु अनुशंसित की जाए।

C. सी.जी.एच.एस. पैकेज दर में समाविष्ट स्वीकार्य योग्य/अस्वीकार्य योग्य शुल्क

1. सी.जी.एच.एस. पैकेज दर अंतर्गत निम्न शुल्क समाविष्ट हैं (MoHFW OM F no. 2-1/2012/CGHS/VC/CGHS (P) – Clarification regarding admissible & non-admissible items under CGHS, dated 1st Aug. 2013)

    i. **Registration charges**
    ii. **Admission charges**
    iii. **Accommodation charges including patient's diet**
    iv. **Operation charges**
    v. **Injection charges**
    vi. **Dressing charges**
    vii. **Doctor/Consultant charges**
    viii. **ICU/ICCU charges**
    ix. **Monitoring charges**
    x. **Transfusion charges**
    xi. **Anesthesia charges**
    xii. **Operation theatre charges**
    xiii. **Procedural charges/surgeon's fees**
    xiv. **Cost of surgical disposables and all sundries used during hospitalization**
    xv. **Cost of medicines**
    xvi. **Related routine and essential investigations**
    xvii. **Physiotherapy charges etc.**
    xviii. **Nursing care and charges for its services**

2. Implants/Stents/Grafts/Life saving medicines such as Anticancer drugs की प्रतिपूर्ति पैकेज रेट्स के अतिरिक्त वास्तविक मूल्य के आधार पर किया जाता है, यदि सी.जी.एच.एस. के अंतर्गत सीलिंग रेट विहित नहीं है।

3. आंतरिक रोगी के उपचार के दौरान, सूचीबद्ध अस्पताल द्वारा शासकीय कर्मचारियों/उनके आश्रितों के पृथक से औषधियां/उपकरण/भिन्न–भिन्न सामग्री अथवा साधन (Medicines/Equipment/Sundries/Accessories) का क्रय नहीं कराया जाएगा एवं सी.जी.एच.एस. दरों पर ही उपचार किया जाएगा जिसमें समस्त औषधियां/सामग्रियों का शुल्क समाविष्ट है।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

4. जिन प्रकरणों में सी.जी.एच.एच. भोपाल के पैकेज दर उपलब्ध नहीं है, ऐसे प्रकरणों के दर का निर्धारण AIIMS Bhopal के प्रकाशित दर अनुसार (AIIMS Rates if there is no CGHS Rates) अथवा वास्तविक के आधार पर (If there is no CGHS Bhopal/AIIMS rate available for any item) पर किया जाए।

5. आंतरिक उपचार के दौरान पैकेज रेट्स में निम्नानुसार अधिकतम भर्ती का निर्धारण सी.जी.एच.एस. भोपाल दरों के अंतर्गत निर्धारित है:–
   - **12 days for specialized (Super Specialties) treatment;**
   - **7 days for other Major Surgeries;**
   - **3 days for Laparoscopic Surgeries/Normal deliveries; and**
   - **1 day for Day Care/Minor OPD surgeries.**

6. असाधारण प्रकरणों में यदि शासकीय कर्मचारी/उनके आश्रितों को उपरोक्त अनुसार तय सीमा से अधिक अवधि हेतु आंतरिक रोगी के रूप में उपचार प्राप्त करने की आवश्यकता होती है तो, ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रतिपूर्ति हेतु उपचारकर्ता अस्पताल द्वारा संबंधित मेडिकल रेकॉर्डस् अभिप्रमाणित कर उपलब्ध कराए जावेंगे। ऐसे असाधारण प्रकरणों में सी.जी.एच.एस. द्वारा निर्धारित आवासीय शुल्क (Accomodation charges), जांच दर एवं चिकित्सकों के परामर्श शुल्क (2 विजिट प्रति दिन प्रति विशेषज्ञ/कन्सलटेन्ट) तथा अतिरिक्त आंतरिक रोगी के रूप में भर्ती हेतु औषधियों के शुल्क की अतिरिक्त प्रतिपूर्ति तक सीमित होगी।

7. Telephone Charges, Toiletries, Sanitary napkins, Talcum Powder. Mouth Freshners जैसे सामग्रियों के दरों की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

8. एक ही समय 2 सर्जरी या ऑपरेशन एक ही मार्ग से किया गया हो तो, उन प्रोसीजरस् हेतु निर्धारित पृथक–पृथक पैकेज दर अनुरूप प्रतिपूर्ति की जाएगी।

D. राज्य के भीतर अथवा राज्य के बाहर सूचीबद्ध चिकित्सालयों में रोगियों की डायलिसिस संबंधी देयकों का निराकरण

1. डायलिसिस की प्रक्रिया प्रायः बाह्य रोगी प्रक्रिया के रूप में की जाती है। रोगी के स्थिति की गंभीरता अनुरूप यह प्रक्रिया सप्ताह में दो से तीन बार किया जाना आवश्यक होता है।
2. डायलिसिस उपरान्त सूचीबद्ध अस्पताल द्वारा 1 दिवसीय डे–केयर (1 day for Day Care) हेतु अभिप्रमाणित देयक के प्रस्तुति उपरान्त सी.जी.एच.एस. भोपाल में विभिन्न प्रकार के डायलिसिस (Peritoneal Dialysis, Haemodialysis, CAPD) हेतु निर्धारित पैकेज दर अनुसार प्रतिपूर्ति की जाए।

E. विधानसभा सदस्यों के प्रकरणों का परीक्षण एवं निराकरण

1. विधानसभा सदस्यों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरणों का निराकरण **"मध्यप्रदेश विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972, यथासंशोधित 2016 के नियम 7 (1) (चार) एवं (पांच) अनुसार किए जाने का प्रावधान है"**।
2. उक्त अधिनियम के नियम 7 (1) (पांच) के स्पष्टीकरण (दो) में लेख किया गया है कि "चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार संबंधी नियम, इस उपान्तरण अध्यधीन रहते हुए कि प्रतिपूर्ति के किसी भी दावे

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

के प्रयोजन के लिए नियंत्रक प्राधिकारी म.प्र विधानसभा का प्रमुख सचिव होगा, सदस्य को उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार की वें पूर्वोक्त शासकीय सेवक को उसके स्वयं के लिए लागू होते है।"

3. अतः, विधानसभा सदस्यों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का परीक्षण एवं निराकरण उपरोक्त अधिनियम एवं शासकीय कर्मचारियों हेतु प्रदेश में अधिसूचित म.प्र. सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2022 अनुसार किया जाए।

F. न्यायिक सेवा के अधिकारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरणों का निराकरण

1. म.प्र. शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश दिनांक 15/06/2006 अनुसार म.प्र. विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम की धारा 7 की उप धारा 1 (क) (यथासंशोधित) के अनुसार तथा इस निमित बनाए गए नियमों के अनुसार न्यायिक सेवा के सदस्य चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

2. तदानुसार, न्यायिक सेवा के सदस्यों के देयकों का समुचित निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित।

(डॉ. सुदाम खाडे)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.

क्र./PHFW- 0922/सत्रह/मेडि-3/I/129680 भोपाल, दिनांक 13/12/2023

प्रतिलिपिः-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, वल्लभ भवन, म.प्र.।
2. निज सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, वल्लभ भवन, म.प्र.।
3. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, म.प्र.
4. समस्त विभागाध्यक्ष, म.प्र.।
5. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल ग्वालियर, म.प्र.।
6. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर/ग्वालियर/इंदौर, म.प्र.।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.।
8. प्रभारी, आई.टी. शाखा, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, म.प्र. की ओर विभागीय वेबसाईट के एम.आर. टेब पर अपलोड हेतु।
9. गार्ड फाईल।

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner